



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273493
CG-DL-E-16062026-273493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3002]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 3002]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

का.आ. 3123(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में NH-146 के कि.मी. 71.600 से कि.मी. 80.780 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्यारसपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में NH-146 के कि.मी. 71.600 से कि.मी. 80.780 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गुलाबगंज					
गांव का नाम: रामपुरचक पाटनी					
1	22/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
2	22/10	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
3	22/14	निजी	सिंचित	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
4	22/3/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.0695 (हेक्टेयर)	0.0695
5	22/3/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.0185 (हेक्टेयर)	0.0185
6	36/7	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
7	38/2/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
8	38/2/3	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	38/2/4	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
10	63/2/2/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.212 (हेक्टेयर)	0.212
11	63/2/2/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.203 (हेक्टेयर)	0.203
12	64/1/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
13	64/1/2	निजी	(सिंचित)	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
14	64/2/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055

15	65/2/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
16	65/3/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
17	65/3/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.135 (हेक्टेयर)	0.135
18	67	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
19	69	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
20	71	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
21	72	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
22	79/4/2/1	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.254 (हेक्टेयर)	0.254
23	79/4/2/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
24	85/1/1/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
गांव का नाम: सिमरहार					
25	641/1/1/1/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
26	641/1/1/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
27	643/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
28	643/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
29	643/3	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
30	644	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
31	645	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
32	646/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
गांव का नाम: पाटनी					
33	2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.157 (हेक्टेयर)	0.157
34	209/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.3314 (हेक्टेयर)	0.3314
35	209/2	निजी	रेसिडेंशियल (आवासीय)	0.0486 (हेक्टेयर)	0.0486
36	210	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
37	29/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
38	3	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
39	33	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
40	4	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
41	5	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
42	6	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: अटारी खेजड़ा					
43	531/5/2/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.0255 (हेक्टेयर)	0.0255

44	551/2/1/6	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
45	551/2/3	निजी	(सिंचित)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
46	551/6	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
47	563/1/1/3/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
48	563/2/1/1	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
49	563/2/1/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
50	563/2/1/3	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
51	587/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
52	587/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.076 (हेक्टेयर)	0.076
53	587/3	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
54	606/2	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
55	663/3/2/2/1	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
56	663/3/2/2/2	निजी	कमर्शियल (व्यावसायिक)	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
57	663/3/5/2/1	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
58	663/3/5/2/2	निजी	रेसिडेंशियल (आवासीय)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
59	663/4	निजी	एग्रीकल्चर (सिंचित)	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
Total					5.1455

[फा. सं. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

S.O. 3123(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-146 in the stretch of land from Km. 71+600 to Km. 80+780 in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub - Divisional Officer (Revenue), in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-146 in the stretch of land from Km. 71+600 to Km. 80+780 in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gulabganj					
Village: Rampurchak Patni					
1	22/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.054 (Hectare)	0.054
2	22/10	Private	Agriculture (Irrigated)	0.018 (Hectare)	0.018
3	22/14	Private	Irrigated Agriculture	0.027 (Hectare)	0.027
4	22/3/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.0695 (Hectare)	0.0695
5	22/3/2	Private	Commercial (Commercial)	0.0185 (Hectare)	0.0185
6	36/7	Private	Commercial (Commercial)	0.02 (Hectare)	0.02
7	38/2/2	Private	Commercial (Commercial)	0.011 (Hectare)	0.011
8	38/2/3	Private	Agriculture (Irrigated)	0.005 (Hectare)	0.005
9	38/2/4	Private	Agriculture (Irrigated)	0.003 (Hectare)	0.003
10	63/2/2/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.212 (Hectare)	0.212
11	63/2/2/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.203 (Hectare)	0.203
12	64/1/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.19 (Hectare)	0.19
13	64/1/2	Private	(Irrigated)	0.17 (Hectare)	0.17
14	64/2/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.055 (Hectare)	0.055
15	65/2/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.79 (Hectare)	0.79
16	65/3/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.054 (Hectare)	0.054
17	65/3/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.135 (Hectare)	0.135
18	67	Private	Agriculture (Irrigated)	0.031 (Hectare)	0.031
19	69	Private	Agriculture (Irrigated)	0.031 (Hectare)	0.031
20	71	Private	Agriculture (Irrigated)	0.05 (Hectare)	0.05
21	72	Private	Agriculture (Irrigated)	0.021 (Hectare)	0.021
22	79/4/2/1	Private	Commercial (Commercial)	0.254 (Hectare)	0.254
23	79/4/2/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.15 (Hectare)	0.15
24	85/1/1/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.054 (Hectare)	0.054
Village: Simerhar					
25	641/1/1/1/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.25 (Hectare)	0.25
26	641/1/1/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.05 (Hectare)	0.05
27	643/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.021 (Hectare)	0.021
28	643/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.03 (Hectare)	0.03
29	643/3	Private	Agriculture (Irrigated)	0.022 (Hectare)	0.022
30	644	Private	Agriculture (Irrigated)	0.027 (Hectare)	0.027
31	645	Private	Agriculture (Irrigated)	0.027 (Hectare)	0.027
32	646/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.027 (Hectare)	0.027
Village: Patni					
33	2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.157 (Hectare)	0.157
34	209/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.3314 (Hectare)	0.3314
35	209/2	Private	Residential (Residential)	0.0486 (Hectare)	0.0486

36	210	Private	Agriculture (Irrigated)	0.031 (Hectare)	0.031
37	29/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.04 (Hectare)	0.04
38	3	Private	Agriculture (Irrigated)	0.021 (Hectare)	0.021
39	33	Private	Agriculture (Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
40	4	Private	Agriculture (Irrigated)	0.011 (Hectare)	0.011
41	5	Private	Agriculture (Irrigated)	0.021 (Hectare)	0.021
42	6	Private	Agriculture (Irrigated)	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Atari Khejra					
43	531/5/2/2	Private	Commercial (Commercial)	0.0255 (Hectare)	0.0255
44	551/2/1/6	Private	Agriculture (Irrigated)	0.038 (Hectare)	0.038
45	551/2/3	Private	(Irrigated)	0.055 (Hectare)	0.055
46	551/6	Private	Agriculture (Irrigated)	0.012 (Hectare)	0.012
47	563/1/1/3/2	Private	Commercial (Commercial)	0.073 (Hectare)	0.073
48	563/2/1/1	Private	Commercial (Commercial)	0.02 (Hectare)	0.02
49	563/2/1/2	Private	Commercial (Commercial)	0.023 (Hectare)	0.023
50	563/2/1/3	Private	Commercial (Commercial)	0.026 (Hectare)	0.026
51	587/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.015 (Hectare)	0.015
52	587/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.076 (Hectare)	0.076
53	587/3	Private	Agriculture (Irrigated)	0.089 (Hectare)	0.089
54	606/2	Private	Agriculture (Irrigated)	0.022 (Hectare)	0.022
55	663/3/2/2/1	Private	Commercial (Commercial)	0.065 (Hectare)	0.065
56	663/3/2/2/2	Private	Commercial (Commercial)	0.065 (Hectare)	0.065
57	663/3/5/2/1	Private	Agriculture (Irrigated)	0.015 (Hectare)	0.015
58	663/3/5/2/2	Private	Residential (Residential)	0.015 (Hectare)	0.015
59	663/4	Private	Agriculture (Irrigated)	0.73 (Hectare)	0.73
Total					5.1455

[F. No. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director